

## प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज दिनांक—मई 15, 2019

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग—  
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **01 वाहन** को सीज किया गया तथा **48 वाहनों से मु0—5100/—**रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।
- पैदल गश्त अभियान:—पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 10 व्यक्तियों** के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा **कुल—68 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी0 दं0प्र0सं0** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।
- शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—  
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल—05 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी** में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही—  
थाना निचलौल पुलिस द्वारा—अभियुक्त आदित्य मद्धेशिया उर्फ प्रद्युम्न पुत्र घनश्याम साकिन आजादनगर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना निचलौल पर मु0अ0स0—164/2019, धारा—4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जेल भेजा गया।
- एन0डी0पी0एस एक्ट में की गयी कार्यवाही—  
थाना निचलौल से अभियुक्त— अभियुक्त आदित्य मद्धेशिया उर्फ प्रद्युम्न पुत्र घनश्याम साकिन आजादनगर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से अवैध 1.150 किलोग्राम गांजा बरामद कर मु0अ0सं0—163/2019, धारा—8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की कार्यवाही की गयी।
- विवेचनाओं का निस्तारण—पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल—01 विवेचनाओं का निस्तारण** किया गया।

जनपद में 14/15.05.2019 को विभिन्न अपराधों में **कुल—07 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही** की गयी।